प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायाधीश महोदय, कानपुर–देहात के आदेश दिनांक १०.०३.२०१५ के द्वारा जनपद न्यायालय, रमाबाई नगर (कानपुर–देहात) के सरकारी वाहन संख्या–यू०पी०–७७–८१०२ को निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका है तथा नियमानुसार वाहन की नीलामी कार्यवाही दिनांक २४.०३.२०१५ को सायंकाल ४.०० बजे दीवानी न्यायालय, रमाबाई नगर (कानपुर–देहात) में सम्पन्न होगी।

उपरोक्त वाहन जनपद न्यायाधीश महोदय, कानपुर–देहात के आवास संख्या–१६/५(३), सेशन्स हाउस, डी०एम० कम्पाउण्ड, कानपुर नगर में खड़ा है। अतः उपरोक्त वाहन का निरीक्षण नीलामी कार्यवाही में भाग लेने वाले व्यक्ति नियमानुसार कर सकते है।

उपरोक्त वाहन की नीलामी के संविदा को उपयुक्त पात्र व्यक्ति नियमानुसार पूर्ण कर भाग ले सकते है। वे नीलामी की शर्ते केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, रमाबाई नगर (कानपुर–देहात) के कार्यालय अथवा नजारत की सूचना पट से किसी भी कार्यदिवस में प्रातः १०.०० से ५.०० बजे तक अवलोकित कर सकते है।

इसके साथ ही नीलामी की सूचना तथा शर्ते जनपद न्यायालय, कानपुर–देहात के वेबसाइट ecourts.gov.in/kanpurdehat पर भी उपलब्ध है।

S.K. Pandey

(सन्तोष कुमार पाण्डेय)
प्रभारी अधिकारी,
नजारत अनुभाग/विशेष न्यायाधीश
(एससी/एसटी), रमाबाई नगर।

दिनांक–१६.०३.२०१५